

Question No. 362.

Question No. 363.

*362. [The Questioner (Shri Satish Pradhan, was absent. For answer vide col. 26 infra)]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आरक्षण

*363. श्री शिवचरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 29 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 605 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल-मई, 1994 के महीनों के दौरान शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने पद विज्ञापित किये गये हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये क्रमशः कितने-कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं,

(ख) क्या इन आरक्षित पदों का कुल योग पचास प्रतिशत से कम है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इससे उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम भारतीय संघ मामले में प्रदत्त आदेश का उल्लंघन नहीं होता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुभारी शैलजा): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

शिक्षकों का वर्ग	कुल संख्या	साधारण	अनुसूचित जातियाँ
प्रार्थमिक शिक्षक	1020	382	153
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	750	280	113
स्नातकोत्तर शिक्षक	500	252	75
संगीत शिक्षक	72	27	11
एस.यू.पी. डब्ल्यू शिक्षक	235	87	36
डाइंग शिक्षक	200	75	30
शारीरिक शिक्षा शिक्षक	200	75	30

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि पिछले वर्षों की केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग रिक्तियाँ अप्रैल, 1994 में विज्ञापित की गई थीं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

शिक्षकों का वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्राथमिक शिक्षक	62	192
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	117	170
स्नातकोत्तर शिक्षक	—	78
संगीत शिक्षक	4	8
एस.यू.पी. डब्ल्यू शिक्षक	20	19
	203	467

क्योंकि सभी रिक्तियाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की थीं, अतः रिक्तियों में आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

अक्टूबर, 1993 में भारत सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, इनके अनुपालन में, निर्धारित मानदंडों के मुताबिक विभिन्न वर्गों के शिक्षकों की विद्यमान रिक्तियों का विज्ञापन मई, 1994 में दिया है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मई, 1994 के विज्ञापन में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कुल मिलाकर आरक्षण

अनुसूचित जन-जातियाँ	अन्य पिछड़े वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक दृष्टि से विकलांग
11	215	102	31
56	203	75	23
38	135	—	—
06	19	07	02
18	63	24	07
15	54	20	06
15	54	20	06

50% से अधिक नहीं है किंतु भूतपूर्व सैनिकों और सार्वजनिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण को शामिल करने के बाद, आरक्षण की कुल प्रतिशतता 50% से अधिक हो जाती है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन कार्मिक विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए परिपत्रों में यथा-निरूपित सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करता है। अधिकतम अनुज्ञेय आरक्षण का प्रश्न और उसे अनुज्ञेय सीमा के अंदर विभिन्न वर्गों में कैसे समायोजित किया जाए, इसकी जांच कार्मिक विभाग के साथ परामर्श करके की जा रही है।

श्री शिवचरण सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपसे यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी, कृपया मेरे प्रश्न का तथा उत्तर का अध्ययन करें, क्योंकि यह मंत्री जी के विभाग की तरफ से नहीं आया है, यह जो उत्तर आया है यह केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी और उपमंत्री महोदय, दोनों ने इसको पढ़ा तक नहीं है। कृपया मेरा प्रश्न है—“अप्रैल-मई, 1994 के महीने के दौरान शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने पद विज्ञापित किए गए हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्रमशः कितने-कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं।” यह मेरा प्रश्न नम्बर एक है।

यह मेरा प्रश्न नंबर एक है। अब इसका उत्तर दिया है—केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि पिछले वर्षों में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलॉग, रिक्तिया अप्रैल 1994 में विज्ञापित की गई हैं। माननीय मंत्री प्रश्न और उत्तर दोनों का जरा कृपा करके अवलोकन करें। मेरे प्रश्न का जो नंबर दो है वह है क्या इन आरक्षित पदों का कुल योग पचास प्रतिशत से कम है, ये हैं। नंबर तीन यदि नहीं तो क्या इससे उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ मामले में प्रदत्त आदेश का उल्लंघन नहीं होता है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? मेरे तीनों प्रश्नों में से किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं आया है। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कृपया अवलोकन करें आपके उत्तर का। आपने जो उत्तर के प्रथम भाग में उत्तर दिया है, उसमें आपने प्राथमिक शिक्षा के और जो वर्णन यहाँ किया है, इसमें 203 अनुसूचित जाति और 467 अनुसूचित जनजाति की जो वैकेंसी बताई है, जबकि मैंने पूछा पूरे डेटेल्स का। इसमें मैंने अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्मी पर्सनल के डिपेंडेन्ट्स सब का पूछा है। आपने केवल अनुसूचित जाति और जनजाति का

दिया है, उत्तर ही पूरा नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री शिवचरण सिंह: कन्कलूड क्या करूँ साहब? आपके हुक्म से बैठ जाऊँ? आप हुक्म करिए, मैं बैठ जाता हूँ। ताड़ना उनको मिलनी चाहिए, मुझे दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Specifically, on what do you want more informations?
...(Interruptions)...

श्री शिवचरण सिंह: है ही नहीं (व्यवधान) मंत्री जी को तो शिक्षा सचिव ने उत्तर ही गलत दिया है। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I call upon the Minister to answer you. Please sit down.

श्री शिवचरण सिंह: कृपया करके (व्यवधान) जिन लोगों ने उत्तर दिया है (व्यवधान) क्या मंत्री जी को जिन्होंने गलत उत्तर दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं, यह बता दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Kindly sit down.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के रोष को समझ सकता हूँ और मैं तो यह कह नहीं सकता, कृपा करके उत्तर भी देख लीजिए। आप तो कह सकते हैं कि आपने उत्तर नहीं दिया है, मैं तो यह कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि आपका विचार है। आपने अप्रैल-मई, 1994 में अलग-अलग कैटेगरीज के तीन से पद एडवर्टाइज किए गए हैं, ये आपका प्रश्न था। पहला उत्तर है अप्रैल का। अप्रैल में जो एडवर्टाइज किए गए उनकी कैटेगरीज दी हुई हैं, प्राइमरी टीचर्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, एम. यू. पी. डब्ल्यू टीचर अलग-अलग संख्या दी हुई है। और यह जरूर कहा गया है कि अप्रैल के महीने में केवल बैकलॉग एस.सी., एस.टी. का भरने के लिए एडवर्टाइज किया गया था इसलिए यही संख्या सम्मने आई है। इसमें और लोगों के समावेश का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा पहलू था आपके प्रश्न में, मई में जो एडवर्टाइज किया गया, उस में अलग-अलग ब्यौरा दिया गया है। प्राइमरी टीचर्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स के हर तरह के डेटेल्स दिए हुए हैं। अलग-अलग उसमें भी ब्यौरा दिया गया है एस.सी. का, एस.टी. का, जनरल, एक्स-सर्विसमेन, फिजिकली हैंडिकैप्ड, सबकी संख्या दी हुई है। तालिका दी हुई है। अब वह तालिका देखने की कृपा करेंगे? अब आप कृपा नहीं करेंगे, मेरे ऊपर नापड़ होंगे तो आपकी नाराज़गी भी मैं बरदाश्त करूंगा और मैं क्या कर सकता हूँ?

श्री शिवचरण सिंह: प्रथम प्रश्न तो मेरा यह है कि यह जो प्रतिशत आपने बताया कि 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं गया है, क्या यह सत्य है?

श्री अर्जुन सिंह: बाकी चीजों से तो संतुष्ट हो गए ना आप? इतना बता दीजिए तो फिर मैं इसका भी जवाब दूँ।

श्री शिवचरण सिंह: नहीं, नहीं आप इसी का जवाब दे दीजिए। सारे प्रश्न का जवाब तो यही है क्योंकि (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Don't confuse the issue. The Minister has explained what he has answered. You must read the answer also well. It is not enough just to ask for details only.

श्री शिवचरण सिंह: मैंने उत्तर पढ़ा है और उत्तर जो है मेरे प्रश्न भाग का, मैंने उसको पढ़कर सुनाया।

MR. CHAIRMAN: I don't think so. The Minister has explained very clearly that he has answered the points you have raised about the two years.

श्री शिवचरण सिंह: माननीय मंत्री जी, यह बैंकलॉग की जो वैकेंसीज थीं (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please ask a specific question instead of asking generally.

श्री शिवचरण सिंह: आप मुझे एलाऊ तो करिए। माननीय मंत्री जी कृपया मुझे यह बताइए कि बैंकलॉग अगर टोटल वैकेंसीज हैं, इनका टोटल जो प्रतिशत है यह पचास प्रतिशत से अधिक है या नहीं?

श्री अर्जुन सिंह: माननीय सभापति जी, बैंकलॉग जो है वह एक पहलू है, एक प्रश्न के भाग का उत्तर है और दूसरा जो 50 प्रतिशत वाला आपका प्रश्न है वह दूसरे से सम्बन्धित रखता है, इन दोनों को एक दूसरे में मिलाकर देखिए। बैंकलॉग यह है जो निश्चित मात्रा में एस.सी., एस.टी. के होने चाहिए थे, किन्हीं कारणों से नहीं हुए इसलिए बैंकलॉग हो गया। उस बैंकलॉग को दूर करने के सिलसिले में 50 प्रतिशत का कोई प्रश्न उठता नहीं है, वह हमें पूरा करना ही है। उसमें कोई अड़चन नहीं है। 50 प्रतिशत का जो प्रश्न है वह आपके प्रश्न के दूसरे भाग में है, जहाँ कि आपने कहा है 50 प्रतिशत अगर होगा उससे ज्यादा होगा या कम होगा हम क्या करेंगे। इस संबंध में सभापति जी आपकी अनुमति से मुझे सदन को बताना है कि 50 प्रतिशत का एक व्यापक मापदण्ड है जिसके ऊपर हम नहीं जा सकते लेकिन इस विषय पर यह विभाग अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता है। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की जो प्रियोरिटी है रिजर्वेशन की उस रिजर्वेशन को पूरा करने का हमारा पहला कर्तव्य है। उस

संबंध में डी.ओ.पी. यानी डिपार्टमेंट आफ परसोनल जो है उनसे इस बारे में बात की है और इस विषय पर हमें एक स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि यदि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को मिलाकर हम 50 प्रतिशत पहुंच जाते हैं तो जो एक्स सर्विसमैन हैं, हैंडीकैप्ड और दूसरे कटेगरीज के हैं उनके संबंध में रिजर्वेशन की क्या स्थिति होगी। इस विषय पर डी.ओ.पी. विचार कर रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनके परामर्श से कोई न कोई रास्ता निकाला जायेगा जिससे एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की भर्ती के बाद बाकी लोगों की स्थान मिल सकेगा। आज मैं इस पर कोई निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सकता।

श्री शिवचरण सिंह: मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है...

MR. CHAIRMAN: You can ask one more question.

श्री शिवचरण सिंह: मैं आखिरी सवाल ही पूछ रहा हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में है, जो टोटल, आपने वैकेंसीज फिलअप की है इसका प्रतिशत 62.5 है। टोटल वैकेंसीज 3,208 थी और इनमें से 2267 को फिलअप किया है। मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि 50 प्रतिशत जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए है उसके बाद क्या आप एक्स-सर्विसमैन के लिए अलग से रिजर्वेशन कराने की मंशा रखते हैं?

श्री अर्जुन सिंह: मैंने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि इस विषय पर डी.ओ.पी. से परामर्श हो रहा है। डिपार्टमेंट आफ परसोनल से परामर्श होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

श्री शिवचरण सिंह: 62.5 प्रतिशत आपने कैसे कर दिया बिना उनकी परमिशन के?

MR. CHAIRMAN: The Minister has answered that question, please.

श्री शिवचरण सिंह: एक ओर परामर्श की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर भर्ती कर रहे हैं। मेरा कहना है गलत तरीके से भर्ती करने वाली को प्रताड़ना देनी चाहिए। गलती संगठन कर रहा है और मंत्री जी मुझे गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: सभापति जी, मेरा इस पर आम्बेक्शन है। यह सब जो रिक्लूटमेंट होता है इस रिक्लूटमेंट में जो भी क्वालिफाइड एस.सी., एस.टी. का आदमी होता है उसकी पॅरिटी होती है, जो जनरल सीट में नहीं लिये जाते हैं दैट इज द रीजन (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Will you please sit down? I think your quota is over. I will call the next question.

श्री शिवचरण सिंह: 62.5 प्रतिशत कपड़े इन्होंने क्वोट का वायलेशन किया है। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The Minister has said that he is discussing it with the Department of Personnel, and he will give you a reply to that later.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: सभापति जी, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी के उत्तर में बताया गया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन कार्मिक विभाग, समय-समय पर, जारी किए गये परिपत्रों में यथा-विरहित सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करता है। मंत्री जी के उत्तर में पिछड़े वर्गों की चर्चा है, विकलांगों की चर्चा है, भूतपूर्व सैनिकों की चर्चा है और अनुसूचित जाति, जनजाति की चर्चा है और इसके अलावा एक और वर्ग है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो आश्रित होते हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में जो स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित हैं और शिक्षित वर्गों की नियुक्ति के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान है कि नहीं? यदि है तो वह कितने प्रतिशत है?

श्री अर्जुन सिंह: मैं तत्काल इसका उत्तर नहीं देना चाहूँगा, जानकारी लेकर उत्तर देना चाहूँगा लेकिन जो मैंने बात कही है, वह सभी कैटेगरीज़ पर लागू होगी। यह तो इलैस्टेटिव है मैंने एक्स सर्विसमैन और उनका जिक्र यहां किया है। जिनको भी पात्रता है, शासन के आदेशों में रिजर्वेशन का, इस पात्रता को इस अनुपात से देखने के बाद क्या स्थिति बनेगी, इसी के ऊपर परामर्श हो रहा है डी.ओ.पी. से। क्योंकि रिजर्वेशन तो कई लोगों के हैं और खास तौर से हमको प्राथमिकता जिस आधार पर देनी है, प्रायोरिटी है, उसको देखते हुए कोई न कोई ऐसा घन्टा निकालना पड़ेगा जिसमें सबका समावेश हो सके। इतना ही मैं कह सकता हूँ। आपके उस प्रश्न का मैं जानकारी लेकर उत्तर दूंगा।

श्री मोहम्मद सलीम: सभापति महोदय जी, यह एस.सी. एस.टी. के जो बैकलॉग के एडवर्टाइजमेंट के बारे में यहां कहा गया है, 89 से स्पेशल डाइव फॉर दी रिक्रूटमेंट ऑफ शैड्यूल्ड कास्ट्स एवं शैड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडीडेट्स चल रहा है। उस स्पेशल डाइव का नतीजा यहां तक पहुंचा है कि अभी पिछले अप्रैल / मई के बारे में मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया कि एस.सी. की 203 और 467 एस.टी. कैंडीडेट्स की पोस्ट्स खाली हैं। तो स्पेशल डाइव का कॉल कितना खोखला था, यह पता चलता है। हमारा प्रश्न यह

है महोदय कि शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो ट्रेन्ड टीचर्स, यहां तक कि प्राइमरी टीचर्स और ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेन्ड टीचर्स इनको नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ केन्द्रीय विद्यालय ही नहीं, आज कई जगह पर वे पोस्ट खाली रहती हैं और जहां शैड्यूल्ड ट्राइब्स का पोपुलेशन है, वहां टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चाहे वह प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हो या बी.एड. के सैकेंडरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो यह नहीं हैं। ऐसा यूनिवर्सिटी स्तर पर ही नहीं है, बहुत सी स्टेट्स में भी हैं। तो मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि जहां शैड्यूल्ड ट्राइब्स का पोपुलेशन है, ऐसे इलाकों को चुनकर, वहां महत्व देकर आप वहां ट्रेनिंग कॉलेज, ग्रेजुएट टीचर्स और छावर सैकेंडरी पास, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कैंडीडेट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करेंगे या नहीं? जब तक आप शॉर्ट टर्म कोर्स करके उनकी ट्रेनिंग का प्रबंध नहीं करते हैं, तब तक आप विदाउट ट्रेनिंग टीचर्स, विद कंडीशन लेंगे कि नहीं शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जिनके लिए आप एक साल या दो साल के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से करके इस घाटे को पूरा करेंगे। क्या इसके लिए आप तैयार हैं?

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय सभापति महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स टीचर्स का हो या और किसी पोस्ट में रिक्रूटमेंट का हो, इनको इसके लिए सक्षम बनाने के लिए प्रयास किया जाना नितांत आवश्यक है और ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं। अगर वह अपर्याप्त है तो उन प्रयासों के स्तर को और सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय सदस्य से कि बेसिक क्वालीफिकेशन में थोड़ी-बहुत ढील दी जा सकती है लेकिन पूरा आधार बदल देना मैं समझता हूँ कि शायद उपयुक्त नहीं होगा और आधार बदलकर अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे जाकर परेशानियां पैदा होंगी, यह ध्यान में रखना जरूरी है।

श्री मोहम्मद सलीम: हम आधार बदलने की बात नहीं कह रहे हैं और क्वालीफिकेशन को भी कम करने की बात नहीं कह रहे हैं, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग का प्रबंध सरकार करेगी या नहीं और नहीं करती है तो विदाउट ट्रेनिंग लेकर के ट्रेनिंग का बंदोबस्त करेगी या नहीं?

श्री अर्जुन सिंह: मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग के लिए उनको पर्याप्त शिक्षा या प्रशिक्षण देने की बात तो की जा रही है। अगर वह कहीं कम है या अपर्याप्त है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उसमें तो मैंने कुछ कहा नहीं।

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी ने यह कहा था

कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का जो बैकलॉग है, वह तो उन्हें पूरा करना है और वह करेंगे ही। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और कल्याण मंत्री जो भी बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का पंडल कमीशन में जो जजमेंट हुआ है, उसमें यह कहा है कि कैरी फरवर्ड सिस्टम लागू नहीं होगा और उसमें यह भी कहा गया है कि 50 प्रतिशत तक केवल आरक्षण पर विचार किया जाएगा तो फिर आप बैकलॉग को पूरा कैसे करेंगे?

क्या आप कैबिनेट में यह प्रस्ताव लायेंगे? क्या आपकी कैबिनेट यह निर्णय करेगी—अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कानून आपको इजाजत देता है कोई रिज्यू पिटीशन करेंगे या कोई कानून बनाकर संसद के द्वारा संविधान संशोधन करेंगे, या ऐसे कानून बनाकर के संविधान के नीचे शैड्यूल में डालेंगे? कृपया उत्तर दें, छड़ियाली आंसू कृपया न बहावें।

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय सभापति महोदय, वह एक व्यापक प्रश्न है और ज्ञासन इस बात के लिये तो निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है कि जो आरक्षण देने का विषय है इसमें हम किसी प्रकार से कमी न होने दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में क्या परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उस पर क्या समीक्षा हुई है क्या नहीं हुई है और क्या होना है, उस सब का उत्तर मैं इस प्रश्न के माध्यम से कैसे दे सकता हूँ? वह एक व्यापक प्रश्न है जो शासन के विचाराधीन है। जो भी उचित होगा वर्तमान परिस्थिति में उसके अनुकूल कदम उठाये जायेंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम: आप कह दें कि मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।.....(व्यवधान).....

श्री अजीत जोगी: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अभी पूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दुष्प्रतिष्ठित रखते हुए 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यदि अभी 50 प्रतिशत की सीमा लागू है तो क्या वे यह आश्वासन देंगे कि 50 प्रतिशत के अंदर जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है, वह किसी भी हालत में कम नहीं किया जायेगा? यदि कम करने की आवश्यकता हो तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण, हैडिकैप आरक्षण और एक्स-सर्विसमैन आरक्षण को कम किया जाये। लेकिन जो संविधान में सबसे पहले आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण, उसे किसी भी हालत में कम न किया जाये। जैसे कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन करके इसकी 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाया जाये तभी

अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिये आरक्षण कम किया जाये?

श्री अर्जुन सिंह: माननीय सभापति जी, यह तो किसी समय किसी भी परिस्थिति में प्रश्न उठता ही नहीं है और न उत्तर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को मात्रा को कम करने का प्रश्न ही नहीं है और इस विषय पर कोई पुनर्विचार होने की संभावना नहीं है।

गुजरात में पीने के पानी की कमी

*364. श्रीमती आनन्दीबेन जेठभाई पटेल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कौन-कौन से शहरों, छोटे तथा मध्यम कस्बों को गर्मियों में पीने के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है और ऐसे शहरों / कस्बों में पीने के पानी की आपूर्ति करने हेतु धनराशि की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) राज्य सरकार द्वारा की दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात के जिन शहरों तथा मझौले नगरों में पानी की अत्यन्त कमी है उनकी सूची सभा पटल पर रखे विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ख) इस बारे में गुजरात सरकार ने कोई योजना नहीं भेजी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

गुजरात में पानी की कमी वाले शहरों तथा छोटे और मझौले नगरों की सूची

क्र. सं.	जिला	नगर
1.	जाम नगर	सिक्का
2.	-वही-	रावल
3.	-वही-	द्वारका
4.	वही	ओछा
5.	-वही-	सलाया
6.	-वही-	जोदीया
7.	-वही-	ध्रोत
8.	-वही-	कलावड